

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-13—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.1	रासायनिक उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र एवं कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस जारी करना	संबंधित जिले के उप संचालक, कृषि	30 कार्य दिवस	संबंधित संभाग के 15 कार्य दिवस संयुक्त संचालक, कृषि	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
13.2	रासायनिक उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र एवं कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण	संबंधित जिले के उप संचालक, कृषि	30 कार्य दिवस	संबंधित संभाग के 15 कार्य दिवस संयुक्त संचालक, कृषि	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैंस,

प्रमुख सचिव